बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक............................/
संचिका सं0– 03/उ0नि0/योजना (आधारभूत संरचना)–07/13

पटना, दिनांक..........................

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

द्वारा:– आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, दीघा, पटना के सुदृढ़िकरण योजनान्तर्गत कुल ₹22.00 (बाईस) लाख मात्र अनुमानित व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में विभागीय राज्यादेश संख्या–2343 दिनांक 19.06.13 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, दीघा, पटना के सुदृढ़िकरण योजना हेतु कुल ₹22.00 (बाईस) लाख मात्र अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2–उक्त स्वीकृत राशि का व्यय निम्नांकित कार्यों पर किया जायेगा :–

क्र0 सं0	कार्यों का नाम	अनुमानित व्यय राशि (राशि लाख में)
i	नवनिर्मित कान्फ्रेंस हॉल में साज–सज्जा	₹3.00
ii	तीन अतिथि कक्ष में साज–सज्जा	₹4.00
iii	नवनिर्मित छात्रावास में साज–सज्जा	₹10.00
iv	पुस्तकालय का जीर्णोद्धार	₹3.00
v	संस्थान का विद्युतिकरण	₹2.00
	कुल	₹22.00

(रूपये बाईस लाख) मात्र।

3–योजना में स्वीकृत राशि का व्यय शीर्ष ''मुख्य शीर्ष–2851, ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103–हथकरघा उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0113, शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढ़ीकरण, विपत्र कोड–P2851001030113, राज्य योजना स्कीम कोड–IND–5440 विषय शीर्ष–27 01, लघु कार्य हेतु प्रथम अनुपूरक आगणन में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसके लिये चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

4–इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, दीघा, पटना होंगे, जो एक मुश्त राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से करेंगे। राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक 8244 दिनांक 02.08.10 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5–इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे, जो उसका अनुश्रवण करेंगे। योजना के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर समुचित जाँचोपरांत प्रतिहस्ताक्षरित कर महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेगें।

6–इस योजना के लेखा जोखा की पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7–योजना स्कीम कोड–IND–5440 है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करते समय तथा व्यय प्रतिवेदन में विपत्र कोड एवं योजना कोड अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे।

8–प्रस्ताव में प्रधान सचिव उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या– *03/उ0नि0/योजना (आधारभूत संरचना)–07/13* के पृष्ट–24/टि0 पर दिनांक 21.02.14 को प्राप्त है। जिसका डायरी संख्या–605/IDC दिनांक–21.02.14 है।

9–यह राज्यादेश संचिका संख्या– *03/उ0नि0/योजना (आधारभूत संरचना)–07/13* के पृष्ट– 25/टि0 पर दिनांक 25.02.14 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार के सहमति से निर्गत किया जा रहा है जिसका डायरी संख्या–11/OSD दिनांक–24.02.14 है।

10–राशि की निकासी वित्त विभगीय पत्रांक 8003 वि(2) दिनांक 13.09.2008 में निहित पत्रांक 2561 वि (2) दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 2938 वि (2) दिनांक 08.04.2008 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11–वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि0(2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक...../
संचिका सं0 03/उ0नि0/योजना (आधारभूत संरचना) 07/13
पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक...../
संचिका सं0 03/उ0नि0/योजना (आधारभूत संरचना) 07/13
पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपिः– उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 754 /
संचिका सं0 03/उ0नि0/योजना (आधारभूत संरचना) 07/13
पटना, दिनांक 26-2-14

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/योजना शाखा, प्रशाखा–3, उद्योग निदेशालय बिहार पटना को तीन प्रतियों में/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/योजना शाखा, प्रशाखा–1 (स0), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को पाँच प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
26/2/14